



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

अनुबंध - क
Annexure - A

संदर्भ: आईआरडीएआई/आरआई/जीडीएल/विविध/___/01/2024
Ref.: IRDAI/RI/GDL/MISC/___/01/2024

दिनांक: 20 फरवरी, 2024
Date: 20 February, 2024

दिशानिर्देश
Guidelines

प्रति / To,
आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 2(5) के अंतर्गत यथापरिभाषित सभी
अध्यर्पक;

All the Cedants as defined under Reg. 2(5) of the IRDAI (Re-insurance)
Regulations, 2018;

विषय: सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआरएस) के पास पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थानन करने
के लिए संपार्श्विक पुनर्बीमा लेनदेनों संबंधी दिशानिर्देश

Re: Guidelines on Collateralized reinsurance transactions for placement of
reinsurance business with Cross Border Reinsurers (CBRs)

1. प्रस्तावना -

- क) भारत में बीमा क्षेत्र ने हाल के वर्षों में स्वस्थ वृद्धि का साक्षात्कार किया है और यह निकट भविष्य में आगे और वृद्धि प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में पूर्वानुमान है कि यह सबसे तेज वृद्धि करनेवाली अर्थव्यवस्था है तथा बीमा क्षेत्र के संबंध में प्रत्याशित है कि यह अगले दशक में और भी उच्चतर वृद्धि के परिपथ (ट्रैजेक्टरी) का अनुसरण करेगी।
- ख) प्रौद्योगिकी के अंगीकरण और विनियामक सुधारों के साथ ही, भारत में बीमा परिदृश्य में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं।
- ग) देशी पुनर्बीमाकर्ता और विदेशी पुनर्बीमाकर्ता (एफआरबीएस) प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं को आवश्यक क्षमता प्रदान कर रहे हैं और साथ ही, उनकी वृद्धि के परिपथ (ट्रैजेक्टरी) में उनकी सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सीमापार पुनर्बीमाकर्ता (सीबीआरएस) भी भारत से प्रीमियमों की विपुल राशि प्राप्त कर रहे हैं और भारतीय पुनर्बीमा बाजार में उनका अंश बढ़ रहा है। अब यह आवश्यक महसूस किया जा रहा है कि भारत में पालिसीधारकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता को बनाये रखने हेतु भारतीय अध्यर्पकों के हितों का वलयरोधन किया जाए। भारतीय बीमा क्षेत्र की आघात-सहनीयता को मजबूत बनाने और उसमें आगे और सुधार लाने के लिए तथा भावी वृद्धि के लिए तैयारी करने हेतु प्राधिकरण इसके द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है।

2. ये दिशानिर्देश बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के उपबंधों के अंतर्गत और आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 12(2) (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी किये जाते हैं।

3. इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु अधिनियम, अथवा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों, विनियमों अथवा अधिसूचनाओं में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

क्रमशः उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या किसी सांविधिक आशोधन या उसके पुनरधिनियमन, जैसी स्थिति हो, में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

4. सीबीआरएस के पास पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थानन करनेवाला अध्यर्पक नीचे निर्दिष्ट रूप में ऐसे स्थानन के लिए संपार्श्विक प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा –

क) उक्त संपार्श्विक सीबीआर से अप्रतिसंहरणीय साख-पत्र (एलसी) अथवा अध्यर्पण करनेवाले बीमाकर्ता द्वारा रोक रखे गये प्रीमियम / निधियों के रूप में होगा।

ख) साख-पत्र (एलसी) के मामले में;

- उक्त एलसी गिफ्ट-आईएफएससी में किसी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) के द्वारा अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा,
- अध्यर्पक ऐसे एलसी को भारतीय रुपयों में अथवा किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में स्वीकार करने का चयन कर सकता है,
- एलसी की राशि पुनर्बीमा संविदा अथवा संबंधित सीबीआर के साथ व्यवस्था के लिए अध्यर्पक बीमाकर्ता की बकाया दावा देयताओं और आईबीएनआर आरक्षित निधियों की कुल राशि के संदर्भ में होगी। संपार्श्विक की राशि निम्नानुसार होगी:

सीबीआर की रेटिंग स्थिति	संपार्श्विक की न्यूनतम राशि (बकाया दावा देयताओं और आईबीएनआर आरक्षित निधियों का कुल जोड़)
स्टैंडर्ड या पूअर्स से ए- अथवा उससे अधिक	80%
ए- से कम	100%

ग) रोक रखे गये प्रीमियमों / निधियों के मामले में;

- प्रत्येक सीबीआर से रोक रखे गये प्रीमियम / निधियों की पहचान की जाएगी, उनका लेखांकन किया जाएगा, उन्हें बीमाकर्ता की निधियों से अलग रखा जाएगा और उनका निवेश किया जाएगा,
- ऐसी रोक रखी गई निधियों पर निवेश आय, यदि कोई हो, ऐसी निधि(यों) में जमा की जाएगी,
- रोक रखे गये प्रीमियम / निधि की न्यूनतम राशि सीबीआर को बीमाकर्ता द्वारा अध्यर्पित प्रीमियमों का 50% होगी।

5. सामान्य –

क) अध्यर्पक यहाँ इन विनियमों में ऊपर उल्लिखित रूप में ऐसे संपार्श्विकों का उन्मोचन करेगा यदि पुनर्बीमा संविदा(ओं) के अंतर्गत संबंधित सीबीआर की सभी देयताएँ पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं।

ख) यदि अध्यर्पक संतुष्ट हो जाता है कि पुनर्बीमा संविदा के अंतर्गत किसी सीबीआर की देयताओं का भाग जारी रहने की संभावना है, तो वह सीबीआर द्वारा दिये गये रूप में संपार्श्विक का उन्मोचन ऐसी किसी राशि के लिए समायोजन करने के बाद कर सकता है जिसका निर्धारण वह इस उद्देश्य से करता है कि वह सीबीआर द्वारा की गई पुनर्बीमा संविदाओं के संबंध में दावों की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए उपलब्ध रखी जानी चाहिए।



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
**INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**

- ग) प्रत्येक अधर्पक बीमाकर्ता इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट रूप में संपार्श्विक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के संबंध में उसके निदेशक बोर्ड या कार्यकारी समिति द्वारा यथा अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम के आधार पर एक पुष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।
- घ) अधर्पक बीमाकर्ता को उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा धारित संपार्श्विकों का क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. ये दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेकर आगे के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रमों हेतु, भारत से अधर्पकों द्वारा सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआरएस) के पास सभी पुनर्बीमा स्थानों के लिए लागू होंगे।

1. Introduction -

- a) The insurance sector in India has witnessed healthy growth in recent years and is set to achieve further growth in future. The Indian economy is projected to be the fastest growing economy and the insurance sector is expected to follow an even higher growth trajectory over the next decade.
- b) The insurance landscape in India is also undergoing rapid changes with the adoption of technology and regulatory reforms.
- c) The domestic reinsurers and branches of foreign reinsurers (FRBs) have been providing the necessary capacity to the direct insurers and also helping them in their growth trajectory. In addition, the Cross Border Reinsurers (CBRs) have also been getting significant amount of premiums from India and their share in the Indian reinsurance market is increasing. It is now felt necessary to ring-fence the interests of Indian cedants to maintain their ability to meet obligations towards policyholders in India. In order to strengthen and further improve the resilience of the Indian insurance sector, and to prepare for the future growth, the Authority hereby issues the following guidelines.
2. These guidelines are issued under the provisions of Section 34(1) of Insurance Act, 1938 and powers conferred under Reg. 12(2)(A) of the IRDAI (Re-insurance) Regulations, 2018.
3. Words and expressions used and not defined in these guidelines but defined in the Act, or any rules, regulations or notifications made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.
4. The cedant placing re-insurance business with CBRs shall be responsible for collecting the collateral for such placement as indicated below –
- a) The collateral shall be either in the form of irrevocable Letter of Credit (LC) from the CBR or premium / funds withheld by the ceding insurer.
- b) In case of LC;
- i. the LC shall be issued through any IFSC Banking Unit (IBU) in GIFT-IFSC or a scheduled commercial bank regulated by the Reserve Bank of India,
- ii. the cedant may choose to accept such LC either in Indian Rupees or in any freely convertible foreign currency,



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
**INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**

- iii. the amount of LC shall be with reference to the aggregate of outstanding claims liabilities and IBNR reserves of the ceding insurer for re-insurance contract or arrangement with the concerned CBR. The amount of collateral shall be as below:

Rating Position of CBR	Minimum Amount of collateral (aggregate of outstanding claims liabilities and IBNR reserves)
A- or above from Standard or Poor's or equivalent	80%
Below A-	100%

- c) In case of Premiums/ Funds withheld;
- the premiums/ funds withheld from each CBR shall be identified, accounted for, kept and invested separately from the funds of the insurer,
 - the investment income, if any, on such withheld funds shall be credited to such fund(s),
 - the minimum amount of premium/ fund withheld shall be 50% of the premiums ceded by the insurer to a CBR.

5. General –

- The cedant shall release such collaterals as mentioned herein above if all the liabilities of the concerned CBR under re-insurance contract(s) are fully extinguished.
 - If the cedant is satisfied that part of the liabilities of a CBR under the re-insurance contract are likely to continue, it may release the collateral as given by the CBR after making adjustments for any amount that it determines should be kept available for the purpose of meeting claims in respect of re-insurance contracts entered into by the CBR.
 - Every ceding insurer shall furnish a confirmation regarding compliance with the collateral requirements as indicated in these guidelines, based on the reinsurance program as approved by its Board of Directors or the Executive Committee.
 - The ceding insurer shall not be permitted to take credit of the collaterals held by it, for the purpose of determining the available solvency margin.
6. These guidelines shall be applicable for all the reinsurance placements with Cross Border Reinsurers (CBRs) by cedants from India, for reinsurance programs for FY 2025-26 onwards.

हस्ता. / Sd/-